


For Office use only



Government of Bihar



SCHEDULE OF RATE
WATER RESOURCES DEPARTMENT

EFFECTIVE FROM : 18.10.2017

CONTENTS

ITEM NO.	DESCRIPTION	PAGE
1.	Preface	I – V
2.	Proceedings of Schedule Rate Committee, approvals and various Letters	VI – XXXIV
Chapter – I	Rate of Labour	01 – 04
Chapter – II	Rate of Materials	05 – 27
Chapter – III	Use Rate of Machine	28 – 59
Chapter – IV	Carriage of Materials	60 – 68
Chapter – V	CANAL EMBANKMENT AND STRUCTURE	
5.1	Earth work	Abstract 69 – 73
5.1	Earth work	Analysis of Rate 74 – 95
5.2	Canal Lining	Abstract 96 – 99
5.2	Canal Lining	Analysis of Rate 100 – 111
5.3	Concrete work	Abstract 112 – 118
5.3	Concrete work	Analysis of Rate 119 – 139
5.4	Masonry work	Abstract 140 – 144
5.4	Masonry work	Analysis of Rate 145 – 151
5.5	Plaster work	Abstract 152 – 155
5.5	Plaster work	Analysis of Rate 156 – 161
5.6	Hume Pipe	Abstract 162 – 164
5.6	Hume Pipe	Analysis of Rate 165 – 169
5.7	Pitching and Piling	Abstract 170 – 178
5.7	Pitching and Piling	Analysis of Rate 179 – 212
5.8	Miscellaneous work	Abstract 213 – 214
5.8	Miscellaneous work	Analysis of Rate 215 – 220
Chapter – VI	BARRAGE AND WEIR	
6.1	Earth work	Abstract 221 – 224
6.1	Earth work	Analysis of Rate 225 – 239
6.2	Drilling work	Abstract 240 – 241
6.2	Drilling work	Analysis of Rate 242 – 250
6.3	Concrete work	Abstract 251 – 260
6.3	Concrete work	Analysis of Rate 261 – 274
6.4	Masonry work	Abstract 275 – 278
6.4	Masonry work	Analysis of Rate 279 – 280
6.5	Plaster work	Abstract 281 – 284
6.5	Plaster work	Analysis of Rate 285 – 286
6.6	Pitching work	Abstract 287 – 288
6.6	Pitching work	Analysis of Rate 289 - - 290
6.7	Miscellaneous work	Abstract 291
6.7	Miscellaneous work	Analysis of Rate 292

ITEM NO.	DESCRIPTION		PAGE NO.
Chapter – VII	EARTH MASONRY AND CONCRETE DAM WITH SPILLWAY OUTLET INTAKE WELL, SURGE TANK AND TUNNELLING ETC.		
7.1	Earth work	Abstract	293 – 300
7.1	Earth work	Analysis of Rate	301 – 343
7.2	Drilling work	Abstract	344 – 345
7.2	Drilling work	Analysis of Rate	346 – 347
7.3	Concrete work	Abstract	348 – 354
7.3	Concrete work	Analysis of Rate	355 – 358
7.4	Masonry work	Abstract	359 – 362
7.4	Masonry work	Analysis of Rate	363 – 364
7.5	Plaster work	Abstract	365 – 368
7.5	Plaster work	Analysis of Rate	369 – 370
7.6	Pitching work	Abstract	371
7.6	Pitching work	Analysis of Rate	372 – 374
7.7	Tunnel work	Abstract	375
7.7	Tunnel work	Analysis of Rate	376 – 383
7.8	Miscellaneous work	Abstract	384 – 385
7.8	Miscellaneous work	Analysis of Rate	386 - 390
Annexure-I	Specification of Old E.C. Bag.		
Annexure-II	Specification of Nylon Crates		
Annexure-III	Specification of Non woven Geo Bag		
Annexure-IV	Specification of Non woven Mega Geo Bag		
Annexure-V	Specification of P.P. Rope Gabion		
Annexure –VI	Specification of P.P. Rope Gabion		

प्रस्तावना

बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका: 103 के संशोधन के आलोक में बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प- सह-पठित ज्ञापांक-01/बी0-12-2003-5762(एस0)डब्लू0ई0, पटना दिनांक 05-06-2006 की कंडिका 2(iii) में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित दर के निर्धारण के लिये दर विश्लेषण तथा सामग्रियों का दर निर्धारण पथ निर्माण विभाग के संयोजन में गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा।

जल संसाधन विभाग के पत्रांक-1/पी0 एम0 सी0/विविध/27/2017-91 पटना, दिनांक 09.02.2017 के द्वारा विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति का गठन किया गया, जिसके वर्तमान सदस्य निम्न हैं:

1. ई0 अरूण कुमार।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय-सह -अध्यक्ष, विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

2. ई0 राम पुकार रंजन।

अभियन्ता प्रमुख (सिंचाई सृजन) - सह- सदस्य विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

3. ई0 राजेश कुमार।

अभियन्ता प्रमुख (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) - सह- सदस्य, विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

4. ई0 कमल नारायण लाल।

मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) - सह- सदस्य- विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

5. ई0 शशि शेखर पाण्डेय।

निदेशक, क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय-सह-संयोजक, विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति।

अद्यतन श्रम दर, मशीन दर एवं सामग्रियों के दर पर विभागीय अनुसूचित दर पुस्तिका को अद्यतन कर अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। तदनुसार जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार द्वारा अनुसूचित दर/ दर विश्लेषण का दशम संस्करण पूर्व



प्रकाशित दर विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1194 दिनांक 18.03.2017 द्वारा न्यूनतम मजदूरी के दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिये अनुसूचित दरों के पुनरीक्षण हेतु श्रम दरों का निर्धारण तदनु रूप किया गया है। समय-समय पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न सामग्रियों/ मशीनों के अद्यतन पुनरीक्षित दरों का समावेश अनुसूचित दर पुस्तिका में किया गया है। जिन निर्माण सामग्रियों/ मशीनों के लिये पुनरीक्षित दर प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिये पूर्व का अनुमोदित दर ही लिया गया है।

वर्तमान दर पुस्तिका को तैयार करने में निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी गयी है-

- 1 जल संसाधन विभाग के River valley/Irrigation & Flood Control से संबंधित कार्य मदों के दर विश्लेषण में Prime Cost के लिये तकनीकी परीक्षण कोषांग के Chapter 8,9 &10 के Format को अपनाया गया है।
- 2 राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के पत्रांक-38 (अनु0)दिनांक 13.05.2010 के आलोक में अनुसूचित दर के प्रत्येक मद में श्रमिक कल्याण कोष हेतु एक प्रतिशत (1%) राशि का अतिरिक्त प्रावधान करते हुये दर विश्लेषण किया गया है। इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 4984 दिनांक 01.10.2008 का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की होगी।
- 3 रायल्टी (Royalty) का प्रावधान खनन विभाग की अधिसूचना सं0 244,245 तथा 250,पटना दिनांक 27.01.2012 के अनुसार किया गया है।परन्तु खनन विभाग की रायल्टी संबंधित अद्यतन अधिसूचना पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की होगी।
- 4 यदि परिस्थितिवश Finished Rate की निविदा के विरुद्ध संवेदक को विभाग द्वारा निर्माण सामग्री निर्गत किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में वसूली (Recovery) सामग्री के दर पर तेरह प्रतिशत (13%) जोड़कर प्रावधानित किया जाय,ताकि विभागीय सामग्री पर सामग्री की सुरक्षा के विरुद्ध संवेदक को मात्र दो प्रतिशत (2%) का ही संवेदक लाभ (C.P) प्राप्त हो सके। श्रम दर की



III

निविदा में निर्माण में लगे संवेदक को विभागीय सामग्री पर कोई संवेदक लाभ (C.P) देय नहीं होगा। यदि परिस्थितिवश निर्माण सामग्री की आपूर्ति ली जाती है तो निर्माण सामग्री की निविदा में सामग्री के दर पर मात्र दश प्रतिशत (10%) संवेदक लाभ (C.P) का प्रावधान किया जाय।

5 श्रम दर को राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति का दिनांक 18.07.2017 को आहूत बैठक की कार्यवाही के अनुसार Prime Cost में लिया गया है। (Schedule I & II)

6 दिनांक 19.06.2007 को सम्पन्न विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में निर्णयानुसार चूंकि यांत्रिक साधन से मिट्टी ढुलाई कर कार्य कराने में ट्रक द्वारा ढुलाई कर कार्य कराना सर्वाधिक मंहगा पड़ता है, अतः जल संसाधन विभाग अर्न्तगत यांत्रिक साधन से मिट्टी कार्य ट्रक द्वारा नहीं किये जाए।

7 Carriage of Materials के लिये MORTH & H based पथ निर्माण विभाग(राष्ट्रीय उच्च पथ सहित) के लिये लागू अद्यतन अनुसूचित दर के chapter -I को अपनाया गया है।

जिस स्थल पर रेलवे के द्वारा निर्माण सामग्रियों की ढुलाई संभव हो वैसे स्थल पर Road & Railway दोनों के द्वारा ढुलाई की दर की गणना कर दोनों में जो न्यूनतम हो, उसे प्रयोग में लाया जाय।

- 8 The maximum lead to be considered as per T.E.C Norms is as follows-
- (i) For Local Sand- 3 Km with 1 Km Kutcha
 - (ii) For Bricks- 8 Km with 1 Km Kutcha
 - (iii) For Coarse Sand, Stone Metal, Stone Chips, Morrum, Bitumen- As per actual lead with provision of Kutcha road.
- 9 इस दर पुस्तिका में ईंट, स्टोन बोल्डर, मेटल, ग्रेभल, चिप्स, बालू (कोईलवर), मुर्रम, इत्यादि का दर श्रोत पर लिया गया है। सक्षम पदाधिकारी उस क्षेत्र के लिये अनुमोदित खदान से कार्य स्थल या प्लांट साइट से उसके ढुलाई का प्रावधान करेंगे।
- 10 जहाँ पर Coarse sand at Doriganj economical हो, वहाँ पर उसे ही व्यवहार में लाया जाय तथा दर में अन्तर की राशि को प्राक्कलन में घटाया या बढ़ाया जाय।



- 11 सक्षम पदाधिकारी निर्माण कार्य क्षेत्र के जोन के अनुसार ही सिमेंट/ बालू/ ईट इत्यादि के निर्धारित दर का प्रयोग करेंगे।
- 12 यदि जल संसाधन विभाग द्वारा पथ निर्माण, भवन निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या विद्युत से संबंधित कार्य कराया जाता है तो क्रमशः संबंधित विभाग यथा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग या विद्युत बोर्ड में लागू दर एवं दर विश्लेषण का जल संसाधन विभाग द्वारा हू-बहू पालन किया जायेगा।
- 13 विश्लेषित दर में सभी तरह के Taxes, Royalty, contractors's profit and overhead charges सम्मिलित हैं।
- 14 खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक-126/mc, 127/mc पटना दिनांक 17.10.2017 तथा अधिसूचना संख्या-सी0 सी0 01/14(खण्ड) 4042/एम0 पटना, दिनांक-17.10.2017 के तहत रॉयल्टी/मालिकाना फीस(seigniorage fee) की कटौती संबंधी कार्रवाई की जिम्मेदारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की होगी।
- 15 वर्तमान में निविदायें Finished Rate (सामग्री आपूर्ति सहित) पर किया जाता है, जिसमें Overhead charge 5% एवं contractor's profit 10% , कुल 15% के प्रावधान के तहत वर्तमान अनुसूचित दर पुस्तिका तैयार किया गया है।
- 16 दिनांक 07.10.2017 तथा दिनांक 25.10.2017 को आहूत विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों यथा खाली सिमेंट बोरा, नायलन क्रेट, वी0ए0 वायर, जियो बैग, पी0पी0रोप गैबियन इत्यादि का दर लिया गया है।
- 17 पूर्व कि भांति प्रस्तुत अनुसूचित दर में दर विश्लेषण में सीमेंट, ईट आदि का दर पटना के लिये अनुमोदित दर को लेकर तैयार किया गया है। सिमेंट के दर में OPC grade 43 के दर का उपयोग किया गया है। निरूपण एवं संरचना के आवश्यकतानुसार सम्बन्धित सक्षम पदाधिकारी अन्य प्रकार के सिमेंट का व्यवहार कर सकते हैं।
- 18 वर्तमान अनुसूचित दर पुस्तिका में VAT के बदले GST का प्रावधान किया गया है। सिमेंट में 28%, ईट एवं बालू में 5%, छड़ में 18% तथा अन्य सामग्रियों में भी यथासंभव GST लेते हुये सामग्रियों का दर लेते हुये दर




विश्लेषण किया गया है। GST के दर में समय-समय पर परिवर्तन के अनुसार वांछित संशोधन करना आवश्यक होगा।

19 राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के निर्णय के अनुसार निर्माण कार्यों में TATA, SAIL, RINL एवं Shyam Steel Industries Ltd. Kolkata कम्पनियों का स्टील का प्रयोग किया जाना है।

20 भवन निर्माण विभाग की अद्यतन अनुसूचित दर पुस्तिका दिनांक (17.10.2016 से प्रभावी) से कुछ सामग्रियों का दर इस अनुसूचित दर पुस्तिका में शामिल की गयी है।

जल संसाधन विभाग का अनुसूचित दर पुस्तिका का यह दशम संस्करण सभी सदस्यों की देख-रेख में तैयार किया गया है। फिर भी इस अनुसूचित दर पुस्तिका में कुछ त्रुटि/कमी रह गई हो तो अनुरोध है कि उन त्रुटियों को विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की जानकारी में लायी जाय, ताकि सम्यक विचारोपरान्त उन त्रुटियों का समुचित निराकरण किया जा सके। अगर किसी मद का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में दर्शाये गए दर से कम आता है तो कम दर व्यवहार में लाते हुये इसकी जानकारी विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को अविलम्ब दी जाय।

जल संसाधन विभाग का अनुसूचित दर पुस्तिका (दर विश्लेषण सहित) तैयार कर प्रकाशित करने में कय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय के उप-निदेशक श्री संजय कुमार सिंह का विशेष योगदान रहा है। इस पुस्तिका को तैयार करने में जिन पदाधिकारियों का सहयोग रहा है, समिति उन सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है।


(अरुण कुमार)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)-सह-अध्यक्ष
विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
जल संसाधन विभाग, पटना

विभागीय अनुसूचित दर पुस्तिका के दशम संस्करण के प्रकाशन के पूर्व विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की दिनांक-07.10.2017 को सम्पन्न बैठक में लिया गया निर्णय-

अध्यक्ष, विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के निदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा रकीकृत विशिष्ट के Geo Bag(1Mx0.7M) एवं Mega Geo Bag(2Mx1.75M) का राष्ट्रीय अखबार में इस्तेहार के आधार पर Prime Manufacture (उत्पादनकर्ता) से दर प्राप्त हुआ जो निम्नवत है-

Name of Company	Quoted Rates Per Bag (Rs)	
	GeoBag (1MX0.7M)	Mega Geo Bag (2MX1.50M)
Flexituff International Ltd., Noida,U.P	86.61	706.20
Geo Source, Ahmadabad, Gujarat	93.50	735.00
Garware wall Ropes Ltd, Geosynthetic Div.,New Delhi	82.00	640.00
Virendra Textiles,Noida, U.P	85.00	650.00

पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2014, वर्ष 2015 तथा वर्ष 2016) के अनुसूचित दर पुस्तिका में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का दर वर्ष 2013 में अनुसूचित दर को ही विभागीय अनु० दर निर्धारण समिति के निर्णय के आलोक में रखा गया था। इस दरम्मान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से दर लेकर उसके अनुमोदन हेतु अनुसंसा के साथ राज्य अनु० दर निर्धारण समिति के समक्ष लाया गया। राज्य अनु० दर निर्धारण समिति के संयोजक अधीक्षण अभियन्ता, ई० सुहैल से विचार विमर्श कर अखबार के माध्यम से दर प्राप्त करने की सलाह पर अध्यक्ष, विभागीय अनु० दर निर्धारण समिति की अनुमति प्राप्त कर उक्त दर प्राप्त किया गया।

इस संदर्भ में विदित है कि महालेखाकार के स्तर से भी अनु० दर पुस्तिका में Geo Bag एवं Mega Geo Bag के दर जो बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विभागीय क्य समिति द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर के औचित्य पर सवाल किया गया है। इस क्रम में यह भी जानना अपेक्षित है कि राज्य अनु० दर निर्धारण समिति द्वारा अनुसूचित दर पुस्तिका में विभागीय क्य समिति द्वारा निर्धारित दर को नहीं लेने की बात कही गयी है (दिनांक 18.06.15 को राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय-क्रमांक 6) ।

बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के दरों की स्थिति निम्नवत है-


सामग्री का नाम	वर्ष 2016 के विभागीय अनु० दर पुस्तिका में लिया गया दर,(रुपया में)	वर्ष 2017 में विभागीय क्य समिति, जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में आपूर्ति हेतु अनुमोदित दर ,(रुपया में)
खाली सिमेंट बोरा	2.70 प्रति बोरा	3.80 प्रति बोरा
नायलन कंट (1mX1mX1m),	37.00 प्रति कंट	49.25 प्रति कंट
बी० ए० वायर	60500 प्रति टन	62000 प्रति टन
जिओ बैग (1.0mX0.7m),300GSM	99.00 प्रति बैग	66.50 प्रति बैग
मेगा जिओ बैग (2.0mX1.5m),600GSM	651.00 प्रति बैग	595.00 प्रति बैग
पी० पी० रोप गैबियन (1.8mX1.8mX0.5m)	1918.00 प्रति गैबियन	2268.00 प्रति गैबियन
पी० पी० रोप गैबियन (1.8mX1.2mX0.5m)	1318.00 प्रति गैबियन	1638.00 प्रति गैबियन
जी० टी० फिल्टर	87.60 प्रति वर्ग मीटर	43.80 प्रति वर्ग मीटर


समिति का निर्णय-


1. विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सभी सदस्यों के द्वारा Geo Bag एवं Mega Geo Bag के अखबार में प्रकाशन के आधार पर प्राप्त दर का तुलनात्मक विवरणी तैयार


6


- कर अनुशाखा के साथ राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।
2. अखबार में प्रकाशित इस्तेहार के आधार पर प्राप्त न्यूनतम कोटेशन ,वर्ष 2016 के अनुसूचित दर तथा वर्ष 2017 में विभागीय क्रय समिति, जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में आपूर्ति हेतु अनुमोदित दरों में से न्यूनतम दर को राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति के अनुमोदन प्राप्त होने तक वर्ष 2017 में प्रकाशित होने वाले अनुसूचित दर पुस्तिका में Geo Bag एवं Mega Geo Bag के दर को ही रखने का निर्णय लिया गया है।
 3. शेष बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों यथा खाली सीमेंट बोरा, नायलान क्रेट, पी0पी0रोप, गैबियन,बी0 ए0 वायर इत्यादि का दर भी वर्ष 2017 में विभागीय क्रय समिति, जल संसाधन विभाग द्वारा अनुमोदित दरों तथा वर्ष 2016 के अनुसूचित दरों में जो न्यूनतम हो, को विभागीय अनुसूचित दर पुस्तिका में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
 4. राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति से अद्यतन प्राप्त श्रम दर एवं सामग्रियों के दर के आधार पर VAT के बदले GST जोड़ कर विभागीय अनुसूचित दर पुस्तिका को यथाशीघ्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।


(शशि शेखर पाण्डेय)
निदेशक
क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन
निदेशालय,
जल संसाधन विभाग,बिहार


(ई0 कमल नारायण लाल)
मुख्य अभियंता(यांत्रिक)
जल संसाधन विभाग,बिहार


(ई0 राजेश कुमार)
अभियन्ता प्रमुख
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, बिहार।


(ई0 राम पुकार रंजन)
अभियन्ता प्रमुख
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग,
बिहार।


(ई0 राम पुकार रंजन)
अभियन्ता प्रमुख
मुख्यालय -सह-अध्यक्ष,विभागीय
अनुसूचित दर निर्धारण समिति
जल संसाधन विभाग, बिहार।

बिहार सरकार
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
E-mail ID: sorred2012@gmail.com

पत्रांक- मु0नि0(पथ)47/2014

25 (अनु०)

/दिनांक- 20/7/17

प्रेषक,

अधीक्षक अभियंता,
मुख्यालय निरूपण अंचल,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. अभि. प्रमुख,
ग्रामीण कार्य-विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
2. अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
3. अभियंता प्रमुख,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
4. अभियंता प्रमुख,
तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति,
बिहार, पटना।
5. अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
6. अभि. प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
मुख्य अभियंता (असैनिक)
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति,
बिहार, पटना।
8. मुख्य अभियंता (विद्युत)
भवन निर्माण विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।

विषय- राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक-18.07.2017 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार श्रमदर, बिटुमेन, इमल्सन, स्टील एवं सीमेंट से संबंधित निर्माण सामग्रियों के दर की सूची के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-18.07.2017 की बैठक में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित श्रमदर, बिटुमेन, इमल्सन, स्टील एवं सीमेंट की पुर्नरीक्षित दर की सूची Schedule-I, Schedule-II, "M1", "M2", "M3A", "M3B", "M4", "M5", "M6", "M8", "M9", "M10A" की स्वीकृति संबंधित सूची एवं कार्यवाही की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
व्यवस्था सं०..... 1/30
24/7/17

विश्वासभाजन
अधीक्षक अभियंता,
मुख्यालय निरूपण अंचल,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
07/07/2017

Memo No -

307

Patn. dt- 28/07/2017

राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की दिनांक- 18.07.2017 की बैठक में निर्माण कार्यों (सड़कें, बाँध तथा सिंचाई कार्य) में नियोजित विभिन्न श्रेणी के मजदूरों का संशोधित न्यूनतम दैनिक मजदूरी के अनुमोदन हेतु लिये गये निर्णय :-


जनवरी 2016 से जून 2016 तक का औसत मूल्य सूचकांक श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं०-4175 दिनांक-30.09.2016 के अनुसार 6189.61 है। जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 तक का औसत मूल्य सूचकांक 6334.18 है।


$$\text{सूचकांक में वृद्धि} = 6334.18 - 6189.61 = 144.57$$


$$\text{सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि} = 144.57 / 6189.61 \times 100 = 2.336\%$$


जनवरी 2016 से जून 2016 तक का औसत मूल्य सूचकांक पर आधारित न्यूनतम श्रम दर की सूची अनुसूची '1' एवं '2' के स्तम्भ-6 पर अंकित है तथा श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना सं०-4971 दिनांक- 12.01.2016 के आधार पर श्रम दर की अनुसूची '1' एवं '2' के स्तम्भ-3 में अंकित दर में वृद्धि 43% शु. दरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर दर पुनरीक्षित किया गया था जो स्तम्भ '7' में अंकित है। इसी स्तम्भ के अंकित दर में 2.336% की वृद्धि करनी है। तदनुसार स्तम्भ '8' में न्यूनतम श्रम दर की गणना कर अंकित कर दी गई है।


श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1194, दिनांक-28.03.2017 के आलोक में अनुसूचित दर पुनरीक्षण हेतु उपरोक्त वृद्धि को सम्मिलित करते हुए निर्माण कार्यों, सड़कें, बाँध निर्माण तथा सिंचाई कार्यों में नियोजित दैनिक मजदूरों के न्यूनतम दैनिक मजदूरी में संशोधन के लिए संलग्न अनुसूची-1 तथा 2 के स्तम्भ '8' के अनुसार राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। यह दर भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं अन्य कार्य विभाग के अंतर्गत कराये जाने वाले समरूप कार्यों के उपयोग में भी लाया जायेगा। विशेष जानकारी हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं०-1194 दिनांक-28.03.2017 द्रष्टव्य।
अनु०-1 स. 2



सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।



सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।



सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता (असैनिक) विहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लि०, बिहार, पटना।


सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगमानी विभाग, बिहार, पटना।


सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।



सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।


संयोजक
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

SCHEDULE - I

Approved Schedule of Rates for labour engaged in construction & maintenance of Roads

Sl. No.	Category of Employees	Minimum Rates of wages per day as per					
		Lab. Deptt. Notif. No. 2707/28.09.11	Lab. Deptt. Notif. No. 3225/08.10.15	Lab. Deptt. Notif. No. 1225/01.04.16	Lab. Deptt. Notif. No. 4175/30.09.16	Lab. Deptt. Notif. No. 4971/29.11.16	Lab. Deptt. Notif. No. 1191/28.03.17
1	2	3	4	5(1.04732xcl5)	6(1.01624xcl5)	7((1.43xcl3)+1.15)	8(1.02336xcl7)
1	Unskilled labour	144.00	197.00	206.00	209.00	237.00	242.00
2	Sweeper	144.00	197.00	206.00	209.00	237.00	242.00
3	Mistry	144.00	197.00	206.00	209.00	237.00	242.00
4	Cleaner	144.00	197.00	206.00	209.00	237.00	242.00
5	Helper	144.00	197.00	206.00	209.00	237.00	242.00
6	Klotal/Chainman	144.00	197.00	206.00	209.00	237.00	242.00
7	Marker	184.00	253.00	264.00	268.00	302.00	309.00
8	Filter grade-I	199.00	272.00	284.00	289.00	328.00	336.00
9	Filter grade-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
10	Turner	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
11	Mechanic grade-I	225.00	310.00	323.00	328.00	370.00	379.00
12	Mechanic grade-II	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
13	Electrician grade-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
14	Electrician grade-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
15	Lineman/Wireman	169.00	233.00	243.00	247.00	278.00	284.00
16	Chargeman	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
17	Foreman	247.00	340.00	354.00	360.00	406.00	415.00
18	Welder grade-I	220.00	302.00	315.00	320.00	362.00	370.00
19	Welder grade-II	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
20	Glazier	164.00	224.00	233.00	237.00	270.00	276.00
21	Carpenter	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
22	Head Carpenter	196.00	268.00	279.00	284.00	322.00	330.00
23	Checker	177.00	242.00	252.00	256.00	291.00	299.00
24	Hammerman	153.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
25	Iron smith	189.00	272.00	284.00	289.00	328.00	336.00
26	Iron plate maker	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
27	Black Smith	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
28	Head black smith	196.00	268.00	279.00	284.00	322.00	330.00
29	Tie layer	155.00	213.00	222.00	226.00	255.00	261.00
30	Thatcher	155.00	213.00	222.00	226.00	255.00	261.00
31	Plumber	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
32	Grader	177.00	242.00	252.00	256.00	291.00	298.00
33	Road binder	164.00	224.00	233.00	237.00	270.00	276.00
34	Mason	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
35	Head Mason	196.00	268.00	279.00	284.00	322.00	330.00
36	Stone layer	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
37	Terman	153.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
38	Fireman	155.00	213.00	222.00	226.00	255.00	261.00
39	Gravitor	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
40	Gas cutter	184.00	253.00	264.00	268.00	302.00	309.00
41	Rigger	177.00	242.00	252.00	256.00	291.00	298.00
42	Saring	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
43	Chipper-cum-rivetter	184.00	253.00	264.00	268.00	302.00	309.00
44	Tractor operator	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
45	Dozer operator grade-I	247.00	340.00	354.00	360.00	406.00	415.00
46	Dozer operator grade-II	220.00	302.00	315.00	320.00	362.00	370.00
47	Dumper operator	210.00	288.00	300.00	305.00	345.00	353.00
48	Vibrator Operator	163.00	223.00	232.00	236.00	268.00	274.00
49	Pump driver grade-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
50	Pump driver grade-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
51	Dragline operator grade-I	247.00	340.00	354.00	360.00	406.00	415.00
52	Dragline operator grade-II	220.00	302.00	315.00	320.00	362.00	370.00
53	Concrete mixer operator grade-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
54	Concrete mixer operator grade-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
55	Compressor operator grade-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
56	Compressor operator grade-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00



Approved Schedule of Rates for labour engaged in construction & maintenance of Roads							
Sl. No.	Category of Empl. Year	Minimum Rates of wages per day as per					
		Lab. Dept. Not. No. 2787/28.09.11	Lab. Dept. Not. No. 3225/08.10.15	Lab. Dept. Not. No. 3225/01.04.16	Lab. Dept. Not. No. 4175/30.09.16	Lab. Dept. Not. No. 4971/29.11.16	Lab. Dept. Not. No. 1194/28.03.17
1	2	3	4	5(1.04232x1.4)	6(1.01624x1.5)	7(1.143x1.3)*1.15	8(1.02336x1.7)
48	Earth excavator						
	(a) For every 110 cu. ft for soft earth	144.00	199.00	207.00	210.00	237.00	243.00
	(b) For every 100 cu. ft for hard earth	144.00	199.00	207.00	210.00	237.00	243.00
	(c) For every 90 cu. ft for highly hard earth	144.00	199.00	207.00	210.00	237.00	243.00
49	Truck driver	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
50	Cart/pep driver	184.00	253.00	264.00	268.00	302.00	309.00
51	Crane operator grade-I	247.00	340.00	354.00	360.00	406.00	415.00
	Crane operator grade-II	220.00	302.00	315.00	320.00	362.00	370.00
52	Winch operator	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
53	Road roller driver	252.00	346.00	361.00	367.00	414.00	424.00
54	Blaster	243.00	333.00	347.00	353.00	399.00	408.00
55	Painter grade-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
56	Plaster	155.00	213.00	222.00	226.00	255.00	261.00
57	Peon / Darwan / Chauldar	153.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
58	Clerk / Typist / Typist clerk	173.00	237.00	247.00	251.00	284.00	291.00
59	Time keeper	173.00	237.00	247.00	251.00	284.00	291.00
60	Store Assistant / Storeman	187.00	257.00	268.00	272.00	307.00	314.00
61	Store hand	178.00	243.00	253.00	257.00	293.00	300.00
62	Material chaser	178.00	243.00	253.00	257.00	293.00	300.00
63	Mule and Road male	155.00	213.00	222.00	226.00	255.00	261.00
64	Manshi	163.00	223.00	232.00	236.00	268.00	274.00
65	Work Supervisor	164.00	224.00	233.00	237.00	270.00	276.00
66	Amin	173.00	237.00	247.00	251.00	284.00	291.00
67	Surveyer	177.00	242.00	252.00	256.00	291.00	298.00
68	Supervisory diploma holder	237.00	324.00	338.00	343.00	390.00	399.00
69	Supervisory non-diploma holder	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
70	Any other category of unskilled workers not mentioned above	150.00	208.00	215.00	218.00	247.00	252.00
71	Any other category of skilled workers not mentioned above	183.00	251.00	262.00	266.00	301.00	307.00
72	Highly skilled labour	223.00	306.00	319.00	323.00	367.00	374.00

Note :- The above rates has been calculated as 2.336 % increase in Labour Dept. Notification No. 4971 Dtd. 29.11.2016 i.e (1.02336 * column 7)

[Signature]
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
मकन निर्माण विभाग, विहार, पटना।

[Signature]
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
मकन निर्माण विभाग, विहार, पटना।

[Signature]
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
सड़क संसाधन विभाग, विहार, पटना।

[Signature]
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता (अभिनो),
विहार स्टेट हायर इंजिनियरिंग कॉलेज, सिफिटेट, विहार, पटना।

[Signature]
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता (विद्युत),
मकन निर्माण विभाग, विहार, पटना।

[Signature]
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
सड़क संसाधन विभाग, विहार, पटना।

[Signature]
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
सड़क स्वच्छ अभियंता,
विहार, पटना।

[Signature]
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
मुख्यालय, जल संसाधन विभाग,
विहार, पटना।

[Signature]
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख सह-आर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, विहार, पटना।

SCHEDULE - II

Approved Schedule of Rates for labour engaged in Dam construction & Irrigation works

Sl. No.	Category of Employees	Minimum Rates of wages per day as per					
		Lab. Deptt. Notif. No. 2787/28.09.11	Lab. Deptt. Notif. No. 3224/08.10.13	Lab. Deptt. Notif. No. 1225/01.04.16	Lab. Deptt. Notif. No. 4175/30.09.16	Lab. Deptt. Notif. No. 4971/20.11.16	Lab. Deptt. Notif. No. 1184/28.03.17
1	2	3	4	5(1.04133xcl4)	6(1.01629xcl5)	7((1.43xcl3)*1.15)	8(1.02336xcl7)
1	Unskilled labour	144.00	197.00	206.00	209.00	237.00	242.00
2	Male	158.00	216.00	225.00	229.00	260.00	266.00
3	Head Mason	196.00	268.00	279.00	284.00	322.00	330.00
4	Mason	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
5	Printer Class-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
6	Printer Class-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
7	Head Carpenter	196.00	268.00	279.00	284.00	322.00	330.00
8	Carpenter	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
9	Head Black smith	196.00	268.00	279.00	284.00	322.00	330.00
10	Black Smith	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
11	Glazier	155.00	213.00	222.00	226.00	255.00	261.00
12	Stone Dresser	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
13	Water Carrier	144.00	199.00	207.00	210.00	237.00	243.00
14	Filer Class-I	199.00	272.00	284.00	289.00	328.00	336.00
15	Filer Class-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
16	Helper	153.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
17	Hammer man	153.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
18	Blowman	144.00	199.00	207.00	210.00	237.00	243.00
19	Road Roller Driver	252.00	346.00	361.00	367.00	414.00	424.00
20	Concrete Mixer Operator, Class-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
21	Concrete Mixer Operator, Class-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
22	Stone Crusher Driver, Class-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
23	Stone Crusher Driver, Class-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
24	Truck Driver	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
25	Compressor Operator, Class-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
26	Compressor Operator, Class-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
27	Pump Driver, Class-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
28	Pump Driver, Class-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
29	Concrete Mixer Attendant	153.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
30	Cleaner or Oilman	148.00	204.00	213.00	216.00	244.00	250.00
31	Tender Man	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
32	Plumber	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
33	Thatcher	155.00	213.00	222.00	226.00	255.00	261.00
34	Khatani / Chainman	155.00	213.00	222.00	226.00	255.00	261.00
35	Sweeper	148.00	204.00	213.00	216.00	244.00	250.00
36	Walchaman	148.00	204.00	213.00	216.00	244.00	250.00
37	Stone Breaker	148.00	204.00	213.00	216.00	244.00	250.00
38	Work Saker	164.00	224.00	233.00	237.00	270.00	276.00
39	Time Keeper	173.00	237.00	247.00	251.00	284.00	291.00
40	Welder, Grade-I	220.00	302.00	315.00	320.00	362.00	370.00
41	Welder, Grade-II	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
42	Weldman / Manan	169.00	233.00	243.00	247.00	278.00	284.00
43	Mechanic, Grade-I	225.00	310.00	323.00	328.00	370.00	379.00
44	Mechanic, Grade-II	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
45	Sawing	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
46	Bill Operator	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
47	Tractor Operator	209.00	287.00	299.00	304.00	344.00	352.00
48	Gauge Reader-cum-sill Observer	153.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
49	Grane Operator, Grade-I	247.00	340.00	354.00	360.00	406.00	415.00
50	Grane Operator, Grade-II	220.00	302.00	315.00	320.00	362.00	370.00
51	Dragline / Scraper / Shovel Operator	247.00	340.00	354.00	360.00	406.00	415.00
52	Dragline/Scraper/Shovel Operator	220.00	302.00	315.00	320.00	362.00	370.00
53	Dumper Operator	210.00	288.00	300.00	305.00	345.00	353.00
54	Foreman	247.00	340.00	354.00	360.00	406.00	415.00

[Handwritten signatures and initials]

SCHEDULE - II
Approved Schedule of Rates for labour engaged in Dam construction & Irrigation works

Sl. No.	Category of Employees	Minimum Rates of wages per day as per					
		Lab. Deptt. Notif. No. 2787/28.09.11	Lab. Deptt. Notif. No. 3225/08.10.15	Lab. Deptt. Notif. No. 1225/01.04.16	Lab. Deptt. Notif. No. 4175/30.09.16	Lab. Deptt. Notif. No. 4971/29.11.16	Lab. Deptt. Notif. No. 1154/28.03.17
1	2	3	4	5(1.04232xcl4)	6(1.01624xcl5)	7((1.43xcl3)*1.15)	8(1.02336xcl7)
55	Junior Forman	220.00	302.00	315.00	320.00	362.00	370.00
56	Chayerman	210.00	288.00	300.00	305.00	345.00	353.00
57	Electrician, Grade-I	185.00	254.00	265.00	269.00	305.00	312.00
58	Electrician, Grade-II	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
59	Electrician, Grade-III	163.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
60	Turner	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
61	Compounder	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
62	Supervisor / (Diploma holder)	237.00	324.00	338.00	343.00	390.00	399.00
63	Surveyor / Supervisor	175.00	239.00	249.00	253.00	288.00	295.00
64	Blue Printer	153.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
65	Tractor	153.00	211.00	220.00	224.00	252.00	258.00
66	Motor Operator	163.00	223.00	232.00	236.00	268.00	274.00
67	Clak / Typist / Typist Clerk	173.00	237.00	247.00	251.00	284.00	291.00
68	Earth Excavator,						
	a) For every 110 cubic feet of soil	144.00	199.00	207.00	210.00	237.00	243.00
	b) For every 100 cubic feet of hard	144.00	199.00	207.00	210.00	237.00	243.00
	c) For every 50 cubic feet of highly	144.00	199.00	207.00	210.00	237.00	243.00
69	Any other category of semi skilled workers not mentioned above	150.00	205.00	215.00	218.00	247.00	252.00
70	Any other category of unskilled workers not mentioned above	183.00	251.00	262.00	266.00	301.00	307.00
71	Highly skilled labour	223.00	306.00	319.00	323.00	367.00	374.00

Note :- The above rates has been calculated as 2.336 % Increase in Labour Dept. Notification No. 4971 Dtd. 29.11.2016 i.e (1.02336 * column 7)

Signature
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
पंच निर्माण विभाग, विहार, पटना।

Signature
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
पंच निर्माण विभाग, विहार, पटना।

Signature
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
पंच निर्माण विभाग, विहार, पटना।

Signature
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
पंच निर्माण विभाग, विहार, पटना।

Signature
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
पंच निर्माण विभाग, विहार, पटना।

Signature
सदस्य,
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
पंच निर्माण विभाग, विहार, पटना।